

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

दिनांक - 31/10/23

रीडर/2023/4928

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

मोहम्मद खां पुत्र
अलादीन जाति
मुसलमान निवासी दूंडा
कवास तहसील बाड़मेर
ग्रामीण जिला बाड़मेर।


1 लक्ष्मणराम पुत्र राजूराम 2 रामचन्द्र पुत्र भीयाराम 3 देदाराम
पुत्र तगाराम 4 अचलाराम पुत्र जेताराम 5 भोपाराम पुत्र पेमाराम
6 वीरचंद पुत्र मूलाराम जाति मेघवाल निवासी दूंडा कवास
तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 238/2023

दिनांक- 27/10/23

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा दूंडा पटवार क्षेत्र कवास तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर के
खसरा संख्या 884/443 रकबा 3.0675 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए
नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त
नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए
एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व
विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में
नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित
की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 31/10/23

क्रमांक :- रीडर/2023/4929-32

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी कवास तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. मोहम्मद खां पुत्र अलादीन जाति मुसलमान निवासी दूंडा कवास तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी लक्ष्मणराम पुत्र राजूराम वगैराह जाति मेघवाल निवासी दूंडा कवास तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर